

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-9  
संख्या-1105/दो-9-2018-17(2)/2017  
लखनऊ : दिनांक : २७ अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव, पी0सी0एस0 को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2018 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(क)(दो) सपटित नियम-17(1)(क) के अधीन उनके पुत्र की उच्च शिक्षा हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-आर0वी0यू0-39313 से **रु0-4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र)** के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें **विशेष दशा** में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अनिता श्रीवास्तव  
विशेष सचिव।

संख्या-1105(1)/दो-9-2018, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत-
- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, फण्ड अनुभाग-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - 2- मुख्य कोषाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
  - 3- जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
  - 4- श्री अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव, पी.सी.एस., अपर जिलाधिकारी (राजस्व), गौतमबुद्ध नगर।
  - 5- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति।
  - 6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

विश्वनाथ दुबे  
(विश्वनाथ दुबे)  
अनु सचिव।